सचिव, भारत निर्वाचन आयोग पी0पी0ई0एम0एस0 डिवीजन निर्वाचन सदन, अशोक रोड नई दिल्ली—110001

Subject- Online filing of Contribution Report, Audited Annual Accounts and Election Expenditure Statement by Political Parties through IEMS Portal-Regarding

कृषया उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र स0 — 505/Meeting/IT/ Modules/PPEMS/2022, 20 september 2023 के निर्देशों के कम में मेरी पार्टी द्वारा की जानकारी आई ई एम.एस पोर्टल पर अपडेट करने की कृपा करे जिससे की आई०ई०एम०एस० पोर्टल पर लॉगिन करके पार्टी की अशदान रिपोर्ट, आडिट रिपोर्ट एव निर्पाचन व्यय विवरण को ऑन लाइन फाइल किया जा सके।

1- पार्टी का नाम- जनता स्पमता पार्टी

2- पार्टी का पता- इमरी-रुखकास, यो ०- होत्रमपूर, थाना-महुआडी, वहानिक्रमेकि-देवारेपा

3- पार्टी रजिस्ट्रेशन नम्बर एव वर्ष- 56/304-/2019-2021/PPS-1 (रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रति सलग्न)

4- पार्टी का पैन नम्बर-

मिया में

(पैन नम्बर की फोटो कापी सलग्न)

5- पार्टी का मोवाइल नम्बर-

9005215518,9454907339

6- पार्टी का ई-भेल आई०डी०-

Jantasamta Partiup agmail. Com

7- पदाधिकारी-

अध्यक्ष का नाम-

च्ठाजीत विक्रवक्रमी

सचिव का नाम-

श्रीराम यादव

कोषाध्यक्ष का नाम-

मुक्तिनाथ विहं

प्राप्तीत विश्वकर्मी जनता समता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष

## (नियम ८५ख देखिए)

[यह प्ररूप आय–कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन सबधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनैतिक दल की आय की विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय—कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ सलग्न किया जाना चाहिए।

1 राजनैतिक दल का नाम

## जनता समता पार्शी

राजनैतिक दल की प्रास्थिति (मान्यताप्राप्त / अमान्यताप्राप्त)

मार्गित्र जामार

राजनैतिक दल के मुख्यालय का पता

मुरलीपुर बीठ फेठरी एरवनक उठपुर

निर्वाचन आयोग के पास राजनैतिक दल के रजिस्ट्रीकरण की तारीख

20-4-2021

स्थायी खाता स0 (पेन) विवरणी फाइल की जानी है और वह आय-कर वार्ड/सर्किल जहा राजनैतिक दल की -देवरिया ! लायनक डिज्यु

वित्तीय वर्ष 20.1 -20.8.2 के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रूपए से अधिक हे ब्यौरे-

क्र	अभिदात्री	पेन (यदि कोई हो) और आय–कर	अभिदाय की	अभिदाय की रीति।	टिप्पणिया
स०	व्यक्ति/कपनी का	और आय–कर	रकम	(चेक / मागदेय	
	नाम और पूरा पता	वार्ड / सर्किल	_	ड्राफ्ट / नकद)	
		A	MI		
		NI			

- \* चेक/मागदेय ड्राफ्ट दवारा सदाय की दशा में उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चेक/मागदेय ड्राफ्ट लिख गया है।
- यदि अभिदायी एक कपनी है तो क्या कपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकथित शर्तो का अनुपालन किया गया है (कपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति सलग्न की जानी चाहिए)।

मै २०१०ीत विश्वाप्ति (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री स्वान त्रात् विश्वाप्तिमा

सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हू कि मेरी सर्वोतम जानकारी ओर विश्वास के अनुसार इस प्ररूप मे दी गई

जानकारी ठीक पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है।

मै यह घोषणा करता हू कि मैं ऊपर नामित राजनैतिक दल की ओर से उन्हिएरिट्री

अपनी हैसियत में इस प्ररूप को सत्यापित कर रहा हू और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूं।

ळ्ठाजीत विञ्चलित्म) (कोषाध्यक्ष / प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)

तारिख 11] 1) [2023 स्थान क्षेम्प कार्याका अनता समतापारी सा॰ इमरी एलकास, पी॰ दिनिमपूर थाना महुसाडी तहिक + दिन-देवीरेपा उ०५०

PIN 274-20 6 (UJAIR EZ UTI) An 900521551B, 9454907339

जिनता समता पाटी राष्ट्रीय अध्यक्ष

## (नियम 85ख देखिए)

[यह प्ररूप आय—कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन सबधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनैतिक दल की आय की विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ सलग्न किया जाना चाहिए।

राजनैतिक दल का नाम 1

अनता समता पार्टी

राजनैतिक दल की प्रास्थिति (मान्यताप्राप्त/अमान्यताप्राप्त)

उनमान्यता पान

राजनैतिक दल के मुख्यालय का पता

मुरलीपुर बीठ फे०टी० एरवना उ०५०

निर्वाचन आयोग के पास राजनैतिक दल के रजिस्ट्रीकरण की तारीख

20-4-202

रथायी खाता स0 (पेन) विवरणी फाइल की जानी है और वह आय-कर वार्ड/सर्किल जहा राजनैतिक दल की

वित्तीय वर्ष 20,32,-20,5 के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रूपए से अधिक है ब्यौरे-

क्रि०	अभिदात्री	पेन (यदि कोई हो) और आय–कर	अमिदाय की रकम	अभिदाय की रीति। (चेक/मागदेय	टिप्पणिया
स०	व्यक्ति/कपनी का नाम और पूरा पता	वार्ड/सर्किल	(4)4	ड्राफ्ट / नकद)	
		1 7			
		MI	MIL		

- \* चेक/मागदेय ड्राफ्ट दवारा सदाय की दशा मे, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चेक/मागदेय ड्राफ्ट लिख गया है।
- यदि अभिदायी एक कपनी हे तो क्या कपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 22 अधिकथित शर्ती का अनुपालन किया गया है (कपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की की जानी चाहिए)।

मै २०१ जीत विरुप फेर्मि (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पूर्ती रेख

सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हू कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी ओर विश्वास के अनुसार इस 🗴 🖸

जानकारी ठीक पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है।

मैं यह घोषणा करता हू कि मैं ऊपर नामित राजनैतिक दल की ओर से 🖼🕬

अपनी हैसियत में इस प्ररूप को सत्यापित कर रहा हू और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हू।

(कोषाध्यक्ष / प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)

तारिख 11/11/2023 स्थान वैमप कार्यालय धनता समता पार्टी व्याप-इमरीह्यकाल पोन्टितिमपुर भाना-महुमाडी, तहालक+िन-देनीताउ०पुर PIH274206 (प्राचा ( हेनपता) मोन 9005215518, 9454907339

황



NIRVACHAN SADAN अशोक रोड नई दिल्ली 110 001 ASHOKA ROAD NEW DELHI 110 001

निर्वाचन सदन

Dated 26th April, 2021

F No 56/304/2019/PPS-I /625

Io

The President,

Ianta Samta Party,

Village-Dumri I khalas

P O -Hetimpui I hana-R impui Karkhana,
Ichsil & District-Deoria,

Uttar Pradesh- 274206

Subject - "Ianta Samta Party" Registration under Section 29A of the Representation of the People Act 1951 as a political party Regarding

I am directed to state that the I lection Commission of India after having considered your application dated 14 11 2019 for registration of "Janta Samta Party" as a political party and the documents produced in support of the statements/averments made/contained in the said application and the submissions made by authorized representative(s) of the party on 20 04 2021 in respect of the said application and having noted that no objection has been filed by anyone to the registration of the Party under the said name in response to the Public Notice published by the applicancia the newspapers has registered the "Janta Samt i Party" as a political party under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 on and with effect from 20 04 2021

- 2 The Registration Number of your party is 56/304/2019-2021/PPS-I
- As provided in sub-Section (9) of Section 29A of the Representation of the People Act 1951 the party shall communicate to the Commission without delay any change in its name head office office-bearers address or in any other material matters. The communication of such changes shall be accompanied by the following
  - (1) An authenticate copy of the resolution passed by the competent body prescribed in the party conduction and the full proceedings of the meeting at which the decision of suclaimings is taken
  - (11) Names of a office-bearers attending the said meeting
  - (iii) An attested copy of the extract of attendance register bearing signature of participating members in the said meeting

It may be noted that the registration will not entitle the party to the reservation of any exclusive symbol for it. The candidates duly set up by the party at an election will be entitled to benefits of preference in allotment of free symbols over independent candidates under paragraph 12 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968 However, under the provisions of paragraph 10B of the Symbols Order, the candidates set up by a registered un-recognized political party contesting from a minimum of 5% of the seats, at a general election to the Legislative Assembly of a State or to the House of the People, may be allotted a common symbol from the list of free symbols, provided the Party fulfills each of conditions mentioned in the said Para-10B

As per the provisions of Section 29B and 29C of the Representation of the People Act, 1951 (dealing with contribution to political parties) the party is required to submit to the Commission a report of contribution received in excess of Rs 20,000/- in a financial year in the round in 1 orm 24A appended to the Conduct of 1 fections Rules, 1961. In such report, the party has to mention the Permanent Account Number (PAN) of the party. Therefore, you are advised to obtain Permanent Account Number (PAN) in respect of the party and inform the details of the same to the Commission within six months of the registration.

It is also informed that the Commission, while registering a political party, does not approve the flags of political parties, and if the party has a flag, it shall be the own responsibility of the party to ensure that the flag does not violate the provisions of the Limblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 or the flag Code of India of any other relevant law related to the subject, and that its flag does not imitate in any manner the flag of any other political party

Yours faithfully,

k No 56/304/2019/PPS-I Copy to

(1) The Chief I lectoral Officer, Uttar Pradesh, I ucknow

(11) The State I lection Commissioner, Uttar Pradesh, 32 - Station Road, Lucknow 226001, Uttar Pradesh

(iii) Political Party Section-III

(IV) Guard I ile

DILP K VARMA) SECRETARY

Dated 26th April, 2021